लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2842
20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग में स्वचालन और डिजिटलीकरण

2842. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की वर्ष 2030 तक भारतीय वस्त्र और परिधान के बाजार के आकार को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए अनुमानित वृद्धि में मदद करने और इसे सुगम बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रक्रियाओं और दक्षता-स्तरों में सुधार के लिए कपड़ा उद्योग में स्वचालन और डिजिटलीकरण को अपनाने को प्रोत्साहित करने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने वैश्विक कपास बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए पहल की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकास के लिए कई योजनाएं/पहल क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना शामिल है, जिसका उद्देश्य प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित एक आधुनिक, एकीकृत बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है, जो निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करेगा; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ परिधान और तकनीकी वस्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार एवं विकास, संवर्धन तथा बाजार विकास, कौशल और निर्यात संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, जिसका उद्देश्य मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है; बेंचमार्क वस्त्र मशीनरी में पात्र निवेश के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए शुरू से अंत तक सहायता के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ): वस्त्र उद्योग में आटोमेशन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई हैं। भारतीय कपास निगम ने पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने के लिए ई-नीलामी प्लेटफार्म क्रियान्वित किया है। सीसीआई ने एमएसपी संबंधी जानकारी किसानों को प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन "कॉट-एली" विकसित किया है। सीसीआई ने प्रत्येक गांठ को एक विशिष्ट गांठ पहचान संख्या और क्यूआर कोड के साथ डिजिटल रूप से पहचानने के लिए गांठ पहचान और पता लगाने की प्रणाली भी विकसित की है। इसी प्रकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड भी रेशम उत्पादन स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए स्वचालित रीलिंग मशीन, कम्प्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक जैक्वार्ड और डिजिटल प्रिंटिंग मशीन को अपनाने की सुविधा प्रदान कर रहा है। मंत्रालय ने बिचौलियों को समाप्त करके बुनकरों और कारीगरों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाने के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल अर्थात **indiahandmade.com** की भी शुरुआत की है।

(ङ) और (च): सरकार ने वैश्विक कपास बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

i. फार्म से फैशन तक समग्र योजना के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर कृषि मशीनीकरण और कपास अर्थव्यवस्था का विकास, कपास की उपज बढ़ाने, फसल सुरक्षा उपायों, कपास की ब्रांडिंग सहित संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए अंतर-मंत्रालयी स्तर पर विचार-विमर्श करने, सिफारिश करने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में एक वस्त्र सलाहकार समूह का गठन।

***